क्रम सं०–325

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2013

अग्रहायण 29, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1336/79-वि-1–13-1(क)-17-2013

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 की धारा 17–क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17–क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,–

(क) जहाँ राज्य सरकार अथवा यथाविहित प्राधिकारी की राय हो कि राज्य में औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, आवेदन करने पर, अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ से कम नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई के तैयार उत्पादन, जो एक विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन न हो, पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क से छूट प्रदान कर सकती है या उसके दर में कमी कर सकती है।

(ख) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि, जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मण्डी शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती है, जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी नये पूर्णरूपेण निर्यातोन्मुख औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई के मामले में, जो नष्ट होने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हो, इस खण्ड के अधीन छूट की अवधि 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में औद्योगिक और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विपणन को सम्प्रवर्तित करने और उत्तर प्रदेश नवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति, 2012 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 17–क को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(क) ऐसे कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर, जिनका नवस्थापित इकाइयों द्वारा उपयोग किया जाता है मण्डी शुल्क (विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान करने या उसकी दर में कमी करने के लिए विहित प्राधिकारी को भी सशक्त करना;

(ख) ऐसे आवेदन प्रपत्र विहित करना जिसमें किसी औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई द्वारा आवेदन किया जाता है;

(ग) उक्त सुविधायें प्रदान करने के लिये संयंत्र और मशीनरी की लागत को दस करोड़ रुपये से कम करके पांच करोड़ रुपये करना;

(घ) ऐसे नये पूर्णरूपेण निर्यातोन्मुख औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के मामले में जो नष्ट होने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में करती हों, छूट की अवधि दस वर्ष तक करना।

2—तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1336(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)-17-2013

Dated Lucknow, December 20, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 19, 2013.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

(U.P. ACT NO. 27 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

Amendment of section 17-A of U.P. Act no. 25 of 1964

2. In section 17-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpandan Mandi Adhiniyam, 1964 for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act,-

(a) Where the State Government or an authority as may be prescribed, is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do to encourage the establishment of Industrial or Agro-Processing Units in the State and to promote the marketing of the specified agricultural produce to be used as raw material by the said units, it may on an application in such form as may be prescribed, by notification exempt or reduce the rate of mandi fee (excluding development cess) on such specified agricultural produce or produces as may be used by such newly established agro processing units as fulfill the condition that the cost of plant and machinery shall not be less than five crore rupees, for such period as may be specified in the notification not exceeding five years subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification:

Provided that the State Government may exempt or reduce the rate of market fee (excluding development cess) on a finished product of Industrial or Agro Processing Unit which is a specified agricultural produce and the material used therein is not a specified agricultural produce.

(b) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do to encourage the export of specified agricultural produce, it may on an application or otherwise, by notification, exempt from mandi fee and development cess, on such specified agricultural produce or produces as may be exported in the prescribed manner by a licensee and for such period as may be specified in the notification not exceeding five years subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification :

Provided that in the case of a new total export-oriented industrial or agro processing unit that use perishable specified agricultural produce as raw material, the period of exemption under this clause may be extended for a period not exceeding ten years."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging Industrial and Agro Processing Units in the State and promoting the marketing of the specified agricultural produce to be used by them and for implementing such policy of Uttar Pradesh Infrastructure and Industrial Investment Policy, 2012 as are related to the Uttar Pradesh Krishi Utpandan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) it has been decided to amend section 17-A of the said Act to provide for :-

(a) empowering the prescribed authority also to exempt or reduce the rate of mandi fee (excluding development cess) onsuch agricultural produce or produces as are used by newly established Units;

(b) prescribing the Form of application in which the application is made by an Industrial or Agro Processing Unit;

(c) reducing the cost of plant and machinery for giving the said facilities from the ten crore rupees to five crores rupees;

(d) extending the period of exemption up to ten years, in the case of new total export oriented Industrial or Agricultural Units that use perishable specified Agricultural produce as raw material.

2. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Vidheyak, 2013 is introduced accordingly.

By order,

S. B. SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 656 राजपत्र (हि०)–2013–(1400)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ फसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 101 सा० विधायी–2013–(1401)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आ० सेट)।